वर्ष 67 ▸▸ अंक 28 ▸▸ पृष्ठ 14
रीवा, गुरुवार 17 अक्टूबर, 2019
कार्तिक कृष्णपक्ष 4, विक्रम संवत 2076
नगर
मूल्य 4.50 रुपए

# दैनिक जागरण

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

www.jagranmp.com/epaper

# सुप्रीम सुनवाई पूरी, अब फैसले की घड़ी

## अयोध्या केस में 40 दिन लगातार चली सुनवाई, फैसला सुरक्षित, 4 से 17 नवंबर के बीच आ सकता है निर्णय

- मध्यस्थता नाकाम होने पर 6 अगस्त से शुरू हुई थी सुनवाई
- अंतिम दिन दोनों पक्षों को दलीलें रखने के लिए मिले डेढ़-डेढ़ घंटे
- रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत 14 की याचिकाएं
- 2.77 एकड़ जमीन के 58 दावेदार, 1 बौद्ध, 4 मुस्लिम, बाकी हिंदू
- कोर्ट में धवन के नक्शा फाड़ने पर विवाद, सीजेआई नाराज
- हिंदू महासभा और मुस्लिम पक्षकारों के वकील में तीखी बहस
- चालीसवें दिन कोर्ट में सुप्रीम टेंशन के साथ सुनवाई खत्म
- मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर तीन दिन में देने होंगे लिखित जवाब

जेएनएन, नई दिल्ली

अयोध्या मामले पर 40 दिन की सुनवाई के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 23 दिन के अंदर फैसला सुना सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में 4 से 17 नवंबर के बीच फैसला आ सकता है, क्योंकि सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बता दें कि मध्यस्थता की कोशिशें विफल हो जाने के बाद छह अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई प्रारंभ की थी। 137 साल से चल रहे अयोध्या विवाद का सबसे ज्यादा उल्लेखनीय पक्ष यह है कि यहां की विवादित जमीन के 58 दावेदार हैं। हिंदुओं और मुस्लिमों के अलावा बौद्ध भी यह दावा करते रहे हैं कि यहां कभी भगवान बुद्ध का मंदिर था। दूसरी तरफ शिया मुसलमान बाबरी मस्जिद को अपनी मस्जिद बताते हैं, लेकिन अदालत ने रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को ही पक्षकार माना है। बाबरी मस्जिद के मूल पक्षकार इकबाल अंसारी भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ शामिल हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मंगलवार को बुधवार शाम पांच बजे तक सुनवाई खत्म करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सभी पक्षों की दलीलें बुधवार को शाम चार बजे तक ही पूरी हो गईं। अदालत ने मुस्लिम और हिंदू पक्षकारों को अपनी दलीलें रखने के लिए डेढ़-डेढ़ घंटे का समय दिया। 45-45 मिनट अन्य ■ शेष पृष्ठ 7 पर

### धवन ने फाड़ा नक्शा

बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में उस समय विवाद हो गया, जब मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने एक नक्शा फाड़ दिया। यह नक्शा हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने पेश किया था, जो अयोध्या पर लिखी गई एक किताब पर आधारित था। नक्शा फाड़ने के बाद धवन और विकास सिंह के बीच जोरदार बहस हुई। लंच के बाद अदालत की कार्यवाही जब फिर शुरू हुई, तो राजीव धवन ने बताया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मर्जी से नक्शा फाड़ा था। इस पर चीफ जस्टिस ने भी सहमति जताई।

### अयोध्या विवाद विशेष देश-विदेश पेज पर

### पांच जजों ने की सुनवाई

डीवाई चंद्रचूड़

अशोक भूषण

रंजन गोगोई

एसए बोबडे

एसए नजीर

अयोध्या केस की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ ने की है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित इस बैंच में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर शामिल हैं।

### दोनों पक्षों की ये दलीलें तय करेंगी फैसले की दिशा

#### राम लला विराजमान

- मस्जिद के नीचे कमल, परनाला और वृत्ताकार श्राइन के साक्ष्य मिले हैं। मस्जिदों में इनका इस्तेमाल नहीं होता।
- स्कंद पुराण कहता है कि राम जन्मस्थान पर जाने भर से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए राम जन्मस्थान हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, न ही उसने वहां किसी मस्जिद का निर्माण किया। मीर बाकी नाम का कोई शख्स नहीं था, जिसे मस्जिद का निर्माता कहा जाता है।
- अयोध्या की विवादित जमीन हिंदुओं की है। वे मानते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था।

#### मुस्लिम पक्षकार

- भारत में इस्लाम पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। यहां कई मस्जिदों पर कमल के चित्र देखे जा सकते हैं।
- भगवान राम का जन्म विवादित जगह पर हुआ था, इसके कोई प्रमाण नही हैं। बाबरी मस्जिद में 22-23 दिसंबर 1949 की रात मूर्तियां रख दी गई थीं।
- बाबरनामा में जिक्र है कि बाबर ने मीर बाकी को अयोध्या भेजा था और उन्होंने उसे शहर से बाहर खाली जमीन में एक भव्य मस्जिद बनाने का निर्देश दिया था।
- मस्जिद में गलत तरीके से मूर्ति रखी गई। इसके बाद इसे हिंदुओं की भावनाओं से जोड़ा गया।

#### निर्मोही अखाड़ा

- भक्तों की अटूट आस्था प्रमाण है कि विवादित स्थल ही राम का जन्मस्थान है।
- राम भगवान हैं, उनके जन्मस्थान को लेकर ठोस प्रमाण न मांगा जा सकता है, न दिया जा सकता है।
- यदि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्म भूमि पर नहीं किया गया होता, तो हिंदू क्यों आंदोलन करते ?
- 1934 से ही मस्जिद में मुस्लिम नहीं आते थे और न ही वहां रोजाना नमाज पढ़ी गई।

#### मुस्लिम पक्ष ने यूं किया खंडन

- हम भगवान राम का सम्मान करते हैं। जन्मस्थान का सम्मान करते हैं। इस देश में अगर राम और अल्लाह का सम्मान नहीं होगा, तो देश खत्म हो जाएगा। ये देश विविधताओं वाला देश है। तमाम वर्गों से बने इस देश का स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था, यह नहीं माना जा सकता।
- 1934 के बाद भी बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। इस बात के कई साक्ष्य मौजूद हैं।

### जमीन पर दावेदारी वापस ले सकता है सुन्नी वक्फ बोर्ड

**जेएनएन, नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल ने बुधवार को समझौता अर्जी भी अदालत में दायर की। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष विवादित भूमि पर समझौते के लिए तैयार हैं।

#### मध्यस्थता पैनल की अर्जी में दावा

सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड विवादित भूमि से दावा छोड़ने को राजी है, लेकिन मस्जिद के लिए जगह दिए जाने के बाद। हालांकि, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी से जब पूछा गया कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, पर सूत्रों ने दावा किया कि मध्यस्थता समिति द्वारा अदालत में जो दस्तावेज पेश किया गया है, उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि के साथ ही बाबरी मस्जिद के मूल पक्षकार इकबाल अंसारी के पुत्र के अलावा रामलला विराजमान, राम जन्मभूमि न्यास और हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं।

#### ऑफर के साथ ये शर्तें भी

- बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में जगह दी जाए।
- सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दे कि देश के सभी पूजा स्थलों की स्थिति वैसी ही रखी जाएगी, जैसी आजादी के दिन 15 अगस्त-1947 को थी। बोर्ड ने इस संदर्भ में 1991 में नरसिम्हाराव सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने का निर्देश सरकार को देने की मांग की है।
- पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित अयोध्या की सभी मस्जिदें मरम्मत कराने के बाद मुस्लिमों को सौंपी जाएं और उन्हें उनमें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए।

### मध्य प्रदेश में अलर्ट

**भोपाल (नप्र)।** सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई पूरी होने और संभावित फैसले को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। आगामी आदेश तक पुलिसकर्मियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। पीएचक्यू ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मैदानी अफसरों को सोशल मीडिया के हर प्लेट फार्म पर नजर रखने को कहा गया है।

MARUTI SUZUKI ARENA

| | ALTO (P) | ALTO K10 (P) | SWIFT (P) | SWIFT (D) | VITARA BREZZA (D) | DZIRE (P) | DZIRE (D) | CELERIO (P) | EECO (7 SEATER) | EECO (5 SEATER) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कंज्यूमर ऑफ़र* | ₹40,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | ₹30,000 + 5 Yr. Warranty | ₹45,000 + 5 Yr. Warranty | ₹30,000 | ₹35,000 + 5 Yr. Warranty | ₹35,000 | ₹25,000 | ₹15,000 |
| एक्सचेंज ऑफ़र* | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| कॉर्पोरेट ऑफ़र* | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| अधिकतम बचत* | ₹60,000 | ₹55,000 | ₹50,000 | ₹77,600 | ₹96,100 | ₹55,000 | ₹83,900 | ₹60,000 | ₹50,000 | ₹40,000 |

ALTO ALTO K10 SWIFT VITARA BREZZA DZIRE CELERIO EECO

AUTHORISED DEALERS: REWA: CITY CARS - CALL: 9754301189. SATNA - CALL: 9669201104. WAIDHAN - CALL: 9669201113. SIDHI - CALL: 9754301197. PANNA - CALL: 9754301185. MAIHAR- CALL: 9669201129.
MARUTI DRIVING SCHOOL: SATNA: CITY CARS - CALL: 9669201137.

*Gold coin offer is valid only on all variants of New Alto, Alto K10, Swift, Dzire, Celerio and Eeco (5 seater and 7 seater). The value of gold coin is upto ₹7000. Terms and Conditions apply. All offers are brought to you by Maruti Suzuki dealers. Offers may vary from city to city, and variant to variant for all models. Corporate offer value is maximum offer value, and same is applicable to selected corporates only. For diesel variants, warranty amount calculated is of the highest variant. Offer valid till stock lasts. Exchange offer valid at True Value outlets only. Accessories shown may not be part of standard equipment. For more details, contact your nearest Maruti Suzuki dealer. E-book today at www.Marutisuzuki.Com or visit your nearest maruti suzuki dealership.